न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/41/2022

अपीलांट चम्पालाल राजपुरोहित पुत्र भोमाराम राजपुरोहित
निवासी मु0 पोस्ट कुशीप तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिवाना

आदेश

दिनांक : 13.05.2022

अपीलार्थी चम्पालाल राजपुरोहित पुत्र भोमाराम राजपुरोहित निवासी मु0 पोस्ट कुशीप तहसील सिवाना जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता तहसीलदार सिवाना के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 01.04.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या 941130 दिनांक 28.02.2022 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिवाना को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित समयावधि में अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है और न ही इसके संबंध में इस न्यायालय के समक्ष अपील का कोई जवाब प्रस्तुत किया है।

हमने प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई है और सूचना उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवाते हुए प्रार्थना–पत्र का निस्तारण शीघ्र किया जावे। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:27:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर